पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 6376/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 12/06/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 06 जून, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
3.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
5.	डॉ. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
6.	डॉ. विभूति राय	–	सदस्य
7.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
12.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 05.05.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2009 में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.05.2009 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि कार्यवृत्त के सदस्यों ने विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिये नियुक्त जाँच अधिकारी श्री सूर्य कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश एवं श्री एल.डी. देवरस सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायालय, न्यायाधीश के विभागीय जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में विभागीय जाँच अधिकारी नियुक्ति संबंधी नियमों का, पालन किया गया है अथवा नहीं? अवलोकन करने के पश्चात ही खोले जाय।

कार्यवृत्त के अनुमोदन के पूर्व यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् के निर्णय में किसी सदस्य विशेष का नाम उल्लेखित न किया जाय। यदि पूर्व में नाम उल्लेखित किया गया है तो विलोपित किया जाय। उपरोक्त आंशिक संशोधन प्रस्ताव के साथ कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

2. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 27.04.2009 एवं 06.05.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः अनुमोदन प्रदान की गई।

3. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 12.05.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः अनुमोदन प्रदान की गई।

4. ग्रन्थालय समिति की बैठक दिनांक 26.03.2009 की कार्यवृत्त को अनुमोदन किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः अनुमोदन प्रदान की गई।

5. कम्प्यूटर विज्ञान भवन विस्तार निर्माण, तृतीय चल देयक के भुगतान के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कम्प्यूटर विज्ञान भवन विस्तार निर्माण, चल देयक भुगतान पूर्व विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तृतीय चल देयक है इसलिये भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य भवनों के भुगतान संबंधी भी कार्यवाही की जाय। इसके लिये तीन सदस्यीय एक समिति बनाई जाय, जिसमें कार्यपरिषद् सदस्यो में से एक सदस्य, भवन निर्माण सदस्यों में से एक सदस्य और राज्य शासन के एक सदस्य। राज्य शासन के प्रतिनिधि न होने की स्थिति में राज्य शासन को पत्र लिखा जाय। समिति निर्माणाधीन भवनों की कार्य के आधार पर अपनी रिपोर्ट दें, ताकि भवनों का लम्बित भुगतान किया जा सके और निर्माण कार्य आगे जारी रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि नवीन भवनों के निर्माण के लिये छत्तीसगढ़ गृह–निर्माण समिति अथवा पी.डब्ल्यू.डी. को इन भवनों का निर्माण कार्य डिपोजीट वर्क के रूप में सौंप दिया जाय।

6. निर्मित / निर्माणाधीन भवनो / न्यू महिला छात्रावास चतुर्थ चल देयक, भुगतान के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः भुगतान की स्वीकृति दी गई। विवादित प्रकरणों पर जहाँ थाने में **F.I.R.** दर्ज है, उसकी जाँच शीघ्र कार्यवाही के लिये सक्षम अधिकारी को पत्र लिखा जाय तथा नस्ती (महिला छात्रावास की) बिल बुक, एम.बी. बुक प्राप्त होने की भी सूचना दी जाय।

7. कम्प्यूटर अध्ययन शाला के प्रस्ताव दिनांक 25.05.2009 पर विचार किया गया

निर्णयः निर्णय लिया गया कि इस संबंध में विद्या परिषद् में निर्णय हो चुका है कार्यपरिषद् के स्वीकृति के पश्चात् उचित प्रस्ताव के साथ राज्य शासन को भेजी जाय।

8. गोपनीय मुद्रण की भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार किया गया।

निर्णयः गोपनीय मुद्रण की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. बी.बी.ए. **I, II, III, IV, V Semester** की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो चुके छात्रों को, परीक्षा में प्रविष्ठ होने के एक अंतिम अवसर, प्रविष्ठ होने की अनुमति पर विचार किया गया।

निर्णयः प्रकरण पर विचार कर सर्वसम्मति से छात्र हित और विशेष परिस्थिति में एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए संबंधित छात्रों से **Undertaking** (अनुत्तीर्ण होने पर **VI Semester** की परीक्षा स्वतः निरस्त हो जावेगी) लेकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.बी.ए. की परीक्षाओं में प्रविष्ठ होने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10. विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 1835/सा.प्रशा./2004 दिनांक 13.07.2004 में **एवं** शब्द जोड़े जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश उचित है। इसलिये वर्तमान में प्रस्तुत इस प्रस्ताव को अमान्य किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28/29–05–2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः अनुमोदन प्रदान की गई।

2. डॉ. भगवन्त सिंह, रीडर एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं योग अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा स्वीकृत धारणाधिकार का अनुमोदन – सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

3. 2008–09 में बी.एस–सी. नर्सिंग में प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में पात्रता प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 73 के प्रावधानों और ऑल इंडिया नर्सिंग कौंसिल में प्रवेश संबंधी प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2008 में प्रकाशित प्रवेश दिशा निर्देश के संबंध में, उच्च शिक्षा विभाग से अभिमत माँग लिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश पूर्व परीक्षा में सम्मिलित हुए मेरिट पर उत्तीर्ण कौंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।

4. महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, सत्र 2008–09 में किये गये प्रवेश प्रतिबंध (14 महाविद्यालयों के जानकारी के संबंध में) के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे 14 महाविद्यालयों जिन्होनें परिनियम 28 का पालन नहीं किया गया है। उनके प्रथम वर्ष में प्रवेश, शर्तों का पालन न करने की स्थिति में प्रतिबंध, वर्ष 2009–10 में यथावत् लागू रहेंगे।

5. UGC Allocation रू. 1.90 करोड़ के शेष राशि से कम्प्यूटर, डी.एल.पी., प्रिंटर, यू.पी.एस, सर्वर क्रय करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः UGC Allocation रू. 1.90 करोड़ के शेष राशि से कम्प्यूटर, डी.एल.पी., प्रिंटर, यू.पी.एस, सर्वर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. श्री हरीश कुमार पाण्डे, टंक लिपिक, श्री श्रवण सिंह ठाकुर, नि.व.लि., श्री विष्णु राम वर्मा नि.व.लि. को माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण से दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप, सेवा में निःशर्त बहाली, कार्यरत पद पर स्थायीकरण, एवं उच्च वर्ग श्रेणी लिपिक वर्ग–दो के पद पर, पदोन्नत किये जाने एवं पदोन्नत पद का आर्थिक लाभ दिये जाने के प्रकरण विचार किया गया।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित कर्मचारियों को माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण से दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप निःशर्त बहाल, कार्यरत् पद पर स्थायी करण एवं पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

7. अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति पर विचार किया गया।

निर्णयः छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 17 (1) के प्रावधानानुसार कुलपति जी द्वारा प्रस्तावित **प्रो. केसरी लाल वर्मा** का नाम अधिष्ठाता छात्र कल्याण के नियुक्ति के लिये किया गया जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

8. शासकीय जे. योगानंदम स्नातकोत्तर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर की स्वायत्तता निरंतरता की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः शासकीय जे. योगानंदम स्नातकोत्तर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर की स्वायत्तता निरंतरता की अवधि, दिनांक 01.07.2009 से 30.06.2014 तक **रिव्यू कमेटी की अनुशंसा** को अनुमोदन की गई।

9. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदन पत्र दिनांक 465/आयुष/अका./2009 दिनांक 28.04.2009 के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदन पर निर्णय लिया गया कि निर्णय पूर्व उचित समझा गया कि कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, कुलपति, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, एवं डीन, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के साथ बैठकर एक बैठक आयोजित कर इस संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करने निर्णय लिया गया।

10. विलोपित।

11. विश्वविद्यालय में कार्यरत् व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने के प्रकरण पर समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वरिष्ठ वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई। वरिष्ठ वेतनमान के लिये की गई अनुशंसित – व्याख्याताओं की सूची निम्नानुसार है –

1. डॉ. निस्तर कुजूर, समाज शास्त्र
2. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाज शास्त्र
3. डॉ. जवाहर लाल तिवारी, समाज शास्त्र
4. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर साइंस
5. डॉ. एस.जे. डहरवाल, फार्मेसी
6. डॉ. केशवकान्त साहू, जैविकी
7. डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिहा, जैविकी
8. डॉ. (श्रीमती) अमिया एक्का
9. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित
10. डॉ. (श्रीमती) उमा गोले, भूगोल
11. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र
12. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, पुस्तकालय विज्ञान
13. डॉ. अशोक प्रधान, मानव विज्ञान
14. डॉ. (श्रीमती) अनुभा सिंह गौर, भौतिकी
15. श्री मोहम्मद इम्तियाज अहमद, सहायक ग्रंथपाल, ग्रंथालय

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया

1. विभागाध्यक्ष रोटेशन से नियुक्त हों।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि तीन सदस्यीय समिति गठित की जाय जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. प्रो. आर.पी. दास
2. प्रो. एस.के. सिंह
3. प्रो. शैलेन्द्र सराफ

समिति अपना रिपोर्ट कुलपति जी को सौपेंगे।

2. समिति के सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो समय–समय पर जाँच समिति बनाई जाती है। प्रकरण पर जाँच कर, समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसे कार्य परिषद् स्वीकृत अथवा अस्वीकृति प्रदान करे परंतु जाँच अधिकारी पर किसी प्रकार की टिका–टिप्पणी न करे, इसका ध्यान रखा जाय। यदि कोई टिप्पणी है तो उसे विलोपित किया जाय।

3. महाविद्यालयों के लिये प्राचार्यों के लिये अनुशंसित चयन संबंधित लिफाफा खोला गया। नियमानुसार नियुक्ति की अनुशंसा की गई :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
01	श्री महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी – यौगिक साइंस एंड रिसर्च, नगपुरा दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती माधुरी गीते
02	शांत्री बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)	डॉ. सविता चंद्राकर
03	श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुपेला भिलाई जिला–दुर्ग	श्रीमती रचना गुप्ता
04	सम्राट अशोका कॉलेज ऑफ आई.टी. कवर्धा	डॉ. (श्रीमती) किरण श्रीवास्तव
05	साईं महाविद्यालय सेक्टर–6, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)	डॉ. देशबन्धु तिवारी
06	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)	डॉ. (श्रीमती) विभा सिंह
07	गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)	डॉ. (श्रीमती) संध्या गुप्ता

4. महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई है और उनके लिफाफे महाविद्यालयों को सौंपे गये है, उन्हें पत्र लिखा जाय कि एक माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी कर रजिस्टर्ड डाक से संबंधित चयनित उम्मीद्वार को भेजें और इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी पत्र के द्वारा सूचित करें।

5. मेसर्स, आफसेट प्रिंटिग हाउस, सतना के भुगतान की नस्ती गुम होने के संदर्भ में गठित समिति का प्रतिवेदन जिसे कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक में रखा गया था और जिस पर प्रशासकीय अभिमत के साथ आगामी बैठक में रखे गये भुगतान की सूचना ग्रहण की गई। निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत समिति के प्रतिवेदन के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि 2009–10 सत्र से छात्रों द्वारा डिग्री माँगे जाने पर डिग्री दिये जाने की व्यवस्था की जाय। डिग्री महाविद्यालय को प्रेषित न की जाय अपितु छात्रों को सीधे प्रेषित की जाय।

6. विधिक प्रकरणों में रू. 16,17,500/– के संबंध में गठित समिति के प्रतिवेदन को कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष रखा गया। समिति की रिपोर्ट की कंडिका 5(8) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा युक्ति–युक्त राशि निश्चित कर लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकता है, के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया।

7. सेठ रतन चंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग के प्रकरण पर भी विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा जिन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई है उनकी नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करने महाविद्यालय को निर्देश दिया गया। महाविद्यालय द्वारा नियुक्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय के जिस संकाय के लिये एवं जिस विषय के लिये नियुक्ति नहीं की गई है, इसकी सूचना मंगाई जाय एवं महाविद्यालय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

8. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 A (2) जो कि पदोन्नति के लिए बनाई गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन के अनुसार नहीं है। पदोन्नति के लिये बनाई गई धारा 49 A (2) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन के अनुसार संशोधित होना अपरिहार्य है। अतः यह निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को निम्न संशोधन विधान सभा से कराने हेतु पत्र लिखा जाय –

धारा 49 A (2) में निम्नानुसार प्रावधान किया जाय :–

"शिक्षकीय पदों पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/प्रावधान/निर्देश के अनुसार होगा।"

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 6377/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 12/06/2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी/आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)